पत्र संख्या–कमिश्नर कैम्प/2018–19/181975/701 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(कमिश्नर–कैम्प)
लखनऊः: दिनॉकः: 19 दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या–विधि अनुभाग/2018–19/445/वाणिज्य कर दिनॉक 27.11.2018 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के वादों को गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत निस्तारित करने हेतु एक लोकेशन के समस्त कर निर्धारण कार्यालयों में समान रूप से विभाजित किया गया था। मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2016–17 के वादों के अध्ययन पर यह पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए फार्म–52 दाखिल करने वाले व्यापारियों का विवरण निम्नवत् हैं :–

	कुल डीलर	**कुल दिये फार्म–52**
ज्वाइन्ट कमिश्नर	1050	829
डिप्टी कमिश्नर	91762	71100
असिस्टेन्ट कमिश्नर	290142	146295
वाणिज्य कर अधिकारी,	408639	216113
कुल	**791593**	**434337**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में 4,34,337 (54.86 प्रतिशत) व्यापारियों द्वारा फार्म–52 में वार्षिक विवरणी दाखिल की गयी है। इनसे संबंधित वादों के संबंध में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आनलाइन निर्णय दिनॉक 31.03.2019 तक लिया जाना है। अतः इनका कर निर्धारण कार्य लम्बित नहीं है।

डीम्ड के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के वादों के आनलाइन चिन्हॉकन की अंतिम तिथि 31.03.2019 है। इसके अतिरिक्त परिपत्र/GO/नोटिफिकेशन के अनुसार रू0 50 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों का कर निर्धारण हेतु चयन रिस्क पैरामीटर के आधार पर आनलाइन किया जाता है।

अतः रू0 50 लाख से अधिक के वार्षिक टर्नओवर के ऐसे समस्त व्यापारी जिसके द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक विवरणी (फार्म–52)दाखिल नहीं किये गये हैं, का प्रत्येक दशा में कर निर्धारण किया जाना है।

वर्ष 2016–17 के वादों के गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत कर निर्धारण सुनिश्चित किये जाने हेत प्रत्येक जोन में एक ही स्थल /लोकेशन/जनपद में तैनात कर निर्धारण अधिकारियों (परस्पर डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी) के मध्य रू0 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर के व्यापारी जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, से संबंधित वादों का स्थानांतरण पारदर्शी रूप से किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से एक लोकेशन/जनपद में तैनात कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य वादों के हस्तांतरण हेतु आब्जेटिव क्राइटिरिया तैयार किया गया है। उक्त प्रक्रिया का परीक्षण मुख्यालय पर गठित वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया है

तथा उक्त आधार पर स्थानांतरित वादों का साफ्टवेयर /तकनीक की दृष्टि से परीक्षण आई0टी0–अनुभाग द्वारा भी कर लिया गया है।

अतः उक्त प्रक्रिया के आधार पर चयनित वादों की सूची समस्त जोनल एडीशनल को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। सभी संबंधित इस सूची का अपने स्तर पर परीक्षणकर एक ही स्थल/लोकेशन पर तैनात एक ही स्तर के कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य उ0प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के नियम–71(2) के अन्तर्गत वाद/वादों का स्थानांतरण दिनॉक 30.12.2018 तक सुनिश्चित करें। यदि किसी खण्ड में कर निर्धारण अधिकारी तैनात नहीं हैं तो उस खण्ड के लम्बित वाद समान लोकेशन पर तैनात अन्य अधिकारियों के मध्य उपरोक्त प्रक्रियानुसार आवंटित किये जायें।

उपरोक्तानुसार पारदर्शी कार्यवाही के परिणामस्वरूप न केवल गुणवत्तापूर्ण कर निर्धारण का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के राजस्व संग्रह पर पड़ेगा, बल्कि प्रदेश के व्यापारियों को भी वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित उनके वादों के ससमय निस्तारण से किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उक्त सूची का परीक्षण कर उ0प्र0 वाणिज्य कर अधिनियम 2008 की धारा–71(2) के प्रावधानों से विसंगति की स्थिति में मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

19/12/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।